छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-07

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित एवं 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार-
   (i) अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.,दिनांक 20 जनवरी, 2016,
   (ii) अधिसूचना क्रमांक 09/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.,दिनांक 06 फरवरी, 2016 तथा
2. श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 5 अगस्त 2015 **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत वनभूमि में अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने बलरामपुर शहर में स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के निजी मकानों एवं दुकानों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 10 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री संतोष बाफना
(2) श्री सियाराम कौशिक
(3) श्री उमेश पटेल
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री केशव चंद्रा
(6) श्रीमती अनिला भेंड़िया
(7) श्री राजेन्द्र कुमार राय
(8) श्री टी.एस.सिंहदेव
(9) श्री अरूण वोरा
(10) श्री नवीन मारकण्डेय

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 55, धमतरी से निर्वाचित सदस्य श्री गुरूमुख सिंह होरा द्वारा मार्च, 2016 सत्र में दिनांक 11 मार्च, 2016 से 18 मार्च, 2016 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

6. वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "देश में समान नागरिक संहिता लागू की जावे।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री बृहस्पत सिंह, देवजी भाई पटेल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में प्रत्येक हल्का में पटवारी कार्यालय भवन बनाया जाकर पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।"

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री देवजी भाई पटेल, श्री कवासी लखमा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री संतराम नेताम, डॉ.विमल चोपड़ा।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संशोधन प्रस्तुत किया कि सह आवास बनाया जाय।

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने सहमति व्यक्त की।

तद्नुसार सदन का यह मत है कि "प्रदेश में प्रत्येक हल्का में पटवारी कार्यालय सह आवास भवन बनाया जाकर पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि "प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान घाट, बाजार हाट, मातागुडी स्थानों में हेंडपम्प लगाया जाय।"

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री कवासी लखमा, दलेश्वर साहू, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री अजय चंद्राकर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 4.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 (फाल्गुन-24, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा